29.1.94

सिटी बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 29.1.94 दिन शनिवार अपरान्ह 3.00 बजे श्री सीताराम यादव, अध्यक्ष की अध्यक्षता में सिटी बोर्ड कार्यालय में सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्नलिखित उपस्थित रहे, उनके नाम व कार्यवाही निम्नवत् है।

1.	श्री सीताराम यादव –	अध्यक्ष
2	" राजेन्द्र प्रताप सिंह	मान्य सभासद
3	" डा० सुनील श्रीवास्तव	" "
4	" अनवरजा उर्फ मइय्या जी	" "
5	" कैलाश नाथ मौर्य	" "
6	" गणेश नारायण रावत	" "
7	" बाबूलाल गुप्ता	" "
8	" दयाशंकर साहू	" "
9	" रमजान खाँ	मनोनीत उपाध्यक्ष
10.	" वीरेन्द्र प्रताप यादव	मान्य सभासद
11	" शिवकुमार गुप्त	" "
12	" मु० मेंहदी हसन	" "
13.	" मिठाईलाल	" "
14	" जफर अहमद	" "
15	" श्री महताब अली	" "
16	" मुश्ताक अहमद	" "
17	" दुखलाल साहू	" "
18	" राम अवध यादव	" "
19	" मिर्जा जाहिद हुसेन	" "
20	" हाजी मो० सलीम	" "
21	" श्री कृष्ण नाथ यादव	प्रतिनिधि सांसद
22	" अमरनाथ	नामित सदस्य
23	" नरेन्द्र बहादुर सिंह	मान्य सभासद

(सत्य प्रकाश श्रीवास्तव)
अधि० अधि०
(विशेष वेतनमान)
सिटी बोर्ड जौनपुर
29.1.94

(सीताराम यादव)
अध्यक्ष
सिटी-बोर्ड
जौनपुर

प्रस्ताव	निर्णय
1. पिछली बैठक दिनांक 25.12.93 की कार्यवाही वास्ते पुष्टि।	पढ़ी गयी एवं पुष्ट की गयी।
2. पालिका बोर्ड जौनपुर के वर्ष 1993-94 के माह दिसम्बर 93 का मासिक आय-व्यय लेखा परिषद अनुमोदनार्थ हेतु।	स्वीकार।
3. पत्रावली बावत नगर के विभिन्न मार्गों की तहबजारी वसूली कार्य के लिये पूर्व से तैनात 3 दैनिक मजदूरी पर कार्यरत तहबजारी मोहर्रिरों की सेवायें 1.1.94 से आगामी 3 माह के लिये 30/- तीस रुपया प्रति दिन प्रति मोहर्रिर की दर से समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदनार्थ हेतु।	स्वीकार।
4. पालिका प्रकाश विभाग में नगर क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था के समुचित संचालन हेतु लगाये गये 3 दैनिक मजदूरी पर मिस्त्री की सेवायें 1.1.94 से आगामी 3 माह के लिये समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
5. पालिका सफाई विभाग में सफाई कार्य के निस्तारण हेतु 11-10-93 के पूर्व से कार्यरत 8 स्वच्छकारों की सेवायें 1.1.94 से आगामी तीन माह के लिये 25/- प्रति दिन प्रति स्वच्छकार की दर से समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।

सामान्य प्रस्ताव — 23.1.85

	प्रस्ताव	निर्णय
6.	पालिका सफाई निरीक्षक द्वारा सफाई कर्मी के निलम्बन हेतु 11-10-84 के पूर्व से कार्यरत एवं उक्त तिथि को जिनकी सेवायें 3 वर्ष पूरी न रही हो, तथा प्रत्येक वर्ष 240 दिन कार्य करने की शर्त पूरी न करते हों, परन्तु 11-10-84 को कार्यरत रहे हों, को शासनादेश संख्या 171/91-1-82 दिनांक 8-1-82 के निर्देशानुसार सेवा से न निकाला जाय, सम्बन्धी निर्णय निर्देश के तहत नगर में सफाई जैसी आवश्यक सेवा को दृष्टिगत रखते हुए 13 स्वच्छकारों की सेवायें 25/- दैनिक मजदूरी पर स्वीकार किये जाने हेतु 1.1.85 से आगामी 3 माह के लिये समयावधि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
7.	पालिका जलकल विभाग में पेयजलापूर्ति व्यवस्था के लिये नलकूपों के संचालन हेतु 12 पम्प अटेन्डेन्ट की सेवायें 30/- प्रति पम्प अटेन्डेन्ट की दर से दैनिक मजदूरी पर 1.1.85 से आगामी 3 माह के लिये समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
8.	पालिका जलकल विभाग की पाइप लाइनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु 5-बेलदारों की सेवायें 25/- प्रति दिन प्रति बेलदार की दर से 1.1.85 से आगामी 3 माह के लिये समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
9.	स्वास्थ्य विभागीय आख्या बावत नगर से निष्कासित होने वाले कूड़े जिसे यत्र तत्र गिरा दिया जाता है को योजनाबद्ध ढंग से	स्वीकार।

सामान्य प्रस्ताव 22-1.35

	निर्णय
प्रस्ताव [illegible] एवं इन्तौ प्रकाशन पर वर्ष निशा... में श्री गनी आडिट आपत्ति संख्या 13 में श्री नगर आयोजित कि कूड़े को 15 प्रति ट्राली लेना जाय, और उसका 40/- प्रति ट्राली भी कराया जाय, इच्छुक प्रजा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा उनके आवेदनपत्रों पर 40/- चालीस रुपये प्रति ट्राली के अनुसार कूड़ा बेचा जाय, जिससे अतिरिक्त ट्राली कूड़ा चालित वाहनों पर होने वाला ईंधन व्यय उतना जितना हो सके, प्रस्ताव पालिका हित में है, परिषद अनुमोदन हेतु।	
स्वास्थ्य कार्यालय की आख्या बाबत प्रताप स्टोर रेस्टोरेंट का चैम्बर फट जाने के कारण निष्प्रयोज्य हो गया है, जिसे निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत नीलामी कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
प्रस्ताव राजस्व प्रभारी बाबत कैन्टोनमेन्ट के सामने निष्प्रयोज्य टूटी हुयी लोहे के कारण व्याप्त गंदगी प्रदूषण व संक्रामक रोग सम्बन्धी जनता की शिकायत पर जनहित में उक्त मलवा हटवाया गया, परिषद स्वीकार्य एवं अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
आवेदनपत्र श्री विजयनारायन सिंह, एडवोकेट, ख्वाजगीटोला, जौनपुर बाबत स्टेशन रोड से ख्वाजगीटोला होते हुये शाहगंज रोड को मिलाने वाली गली का नाम, उस क्षेत्र के वयोवृद्ध सम्मानित सामाजिक व्यक्ति श्री राजनारायन सिंह,	स्वीकार।

सामान्य प्रस्ताव 29-1.94

प्रस्ताव	निर्णय
एडवोकेट के नाम से "राजनारायण भारतीय एडवोकेट मार्ग" रखा जाय, जिस पर मनोनीत सभासद श्री साधूलाल गुप्त ने संस्तुति भी दी है, जिसका नाम मार्ग श्री विजयनारायण भारतीय, एडवोकेट, लखन कोर्ट, मार्ग नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	
13. प्रस्ताव राजस्व प्रभारी बावत परिषद कार्यकाल में अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष द्वारा दुकानों, भवनों एवं निष्प्रयोजन डौढ़िन इत्यादि के आवंटन सम्बन्धी सभी आदेश जो भी पारित किये गये हैं, परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार। सभी आदेश कायम डिमान्ड रजिस्टर के अनुरूप पारित किया गया।
14. आख्या लेखाकार, सिटी बोर्ड जौनपुर बावत शासनादेश संख्या 4525/सी०एम०/8.1.83 म०अ०/82 दिनांक 11.10.93 द्वारा स्वीकृत अनुदान रु 6.25 लाख (छः लाख पच्चीस हजार), जिसे परिषद की बैठक दिनांक 25.12.93 के विशेष पूरक प्रस्ताव संख्या 8 के अन्तर्गत रखा गया था, जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका था, उक्त प्राप्त अनुदान में निहित शर्तों के अधीन, जिलाधिकारी महोदय का अनुमोदन आवश्यक था, उक्त अनुदान से नगर में बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महोदय जौनपुर की स्वीकृति दिनांक 29.12.93	स्वीकार।

सामान्य प्रस्ताव 29.1.95

निर्णय।

प्रस्ताव : उक्त अनुदान की धनराशि से केन्द्रीय के अन्तर्गत, ... लिमिटेड, फरीदाबाद (हरियाणा) से सेक्शन ... क्रय किये जाने के सम्बन्ध में होने वाला ... कुल व्यय 6,75,200=00 रुपये में से 6,25,000/- घटाने के पश्चात शेष धन 50,200/- पालिका निधि से व्यय किये जाने का अनुमोदन परिषद एवं सेक्शन ... की व्यवस्था। कार्यवाही स्वीकृति ... हेतु अग्रिम रूप से किये गये 1,00,000/- एकजाय का भुगतान परिषद अनुमोदन एवं पूर्ण व्यय रुपया 6,75,200/- का व्यय स्वीकार किया जाय, परिषद स्वीकृति हेतु।

15. आवेदन पत्र श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता, मंत्री, दयानन्द नगर/ईशापुर बाबत मोहल्ला ईशापुर अनमरा उर्फ मरघटी मुहल्ला का नामकरण दयानन्द विकास मंच रखा जाय, जिस पर पालिका सभासद श्री दुलालसाहू एवं बाबूलाल गुप्ता ने भी सहमति की है, परिषद अनुमोदन हेतु।

इस प्रस्ताव पर श्री ... ने विरोध प्रकट किया, यदि बोर्ड चाहे तो उस मुहल्ले में कई गलियाँ हैं उनका नाम दयानन्द मार्ग रखा जा सकता है, अंततोगत्वा श्री दुलाल साहू ... सभासद द्वारा प्रस्ताव स्थगित रखने को कहा गया। (रोका)

16. प्रस्ताव डा० सुशील श्रीवास्तव, माननीय सभासद जिसका समर्थन श्री शोभनाथ आर्य, सभासद ने किया, बाबत मालिक चौक से नये पुल को जाने वाली सड़क का नाम नगर-पालिका जौनपुर के पूर्व अध्यक्ष स्व० गुरुशरन लाल मार्ग रखा जाय, नामकरण पट्टिका का खर्च प्रस्तावक डा० सुशील श्रीवास्तव वहन करेंगे, परिषद अनुमोदन हेतु।

सामान्य प्रस्ताव 29.1.95

प्रस्ताव		निर्णय
17.	प्रस्ताव डा० सुनील श्रीवास्तव, सभासद, जिसका समर्थन श्री शोभनाथ आर्य, सभासद ने किया, कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं किसान मजदूर नेता स्व० गोपालदास के नाम पर तिराहे चौराहे पर एक प्रतिमा स्थापित की जाय, तिराहे चौराहे का नाम भी गोपालदास चौराहा रखा जाय, प्रतिमा लगवाने पर होने वाला व्यय प्रस्तावक डा० सुनील श्रीवास्तव, सभासद वहन करेंगे। परिषद अनुमोदन हेतु।	प्रस्ताव पर सर्व[illegible] [illegible] निर्णय हुआ कि [illegible] प्रतिमा लगवाने [illegible]
18	प्रस्ताव डा० सुनील श्रीवास्तव, सभासद जिसका समर्थन श्री शोभनाथ आर्य, सभासद ने किया, बावत मोतिक चौक से आजमगढ़ मार्ग से श्री दीनानाथ खन्ना के मकान से कॉमरेड गोपालदास के मकान तक जाने वाली सड़क का नाम "कामरेड गोपालदास मार्ग" रखा जाय, शिलालेख पर होने वाला व्यय प्रस्तावक डा० सुनील श्रीवास्तव वहन करेंगे, परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
19	अन्य विषय अध्यक्ष की स्वीकृति से	

(हस्ताक्षर)
(सत्यप्रकाश पाण्डेय)
अधिशासी अधिकारी
(विशेष वेतनमान)
सिटी बोर्ड जौनपुर
29.1.95

(हस्ताक्षर) सीताराम यादव
(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड
जौनपुर
29.1.95

लेखक। महेश [illegible]
कार्यालय अधीक्षक / परिषद लिपिक,
सिटी बोर्ड जौनपुर

पूरक प्रस्ताव २९.१.८५

निर्णय।

1. प्रस्ताव श्री अवधराजा उर्फ भइया जी मान्य प्रस्ताव बाबत नगर क्षेत्र के निम्नांकित सड़कों मार्गों का नामकरण इस क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति के नाम किये जाने का प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु। जिसका व्यय (शिलालेख लगाने का) सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य वहन करेंगे।

(1) हिन्दी भवन के पीछे पोखरा होते हुये लालपुर रोड को मिलाने वाली सड़क का नाम "हाजी मो० उस्मान मार्ग" रखा जाय। — स्वीकार।

(2) अटाला मस्जिद व राजकालेज के बीच से अटाला मस्जिद के पीछे जाने वाले मार्ग का नाम "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी - स्व० हामिद हसन लेन" रखा जाय — स्वीकार।

(3) कोतवाली चौराहा (मो० हलवाई की गली) से स्लाटर हाउस होते हुये मुफ्ती मुहल्ला जाने वाली सड़क का नाम प्रख्यात क्रान्तिकारी शायर "कामिल शफीकी मार्ग" रखा जाय। — स्वीकार।

(4) हिन्दी भवन के सामने वाली गली का नाम "हरिश्चन्द्र राय चन्देल लेन" रखा जाय — स्वीकार।

2. प्रस्ताव अवर अभियन्ता निर्माण विभाग बाबत तथा कोतवाली परिसर की चहारदीवारी के सटा हुआ स्थान से हाईडिल ट्रांसफार्मर तक 10 दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव मय व्यय अनुमान है। परिषद अनुमोदन हेतु। — स्वीकार।

पूरक ~~[illegible]~~ प्रस्ताव

29.1.84

प्रस्ताव	निर्णय
3. पत्रावली बाबत सिटी-बोर्ड जोधपुर के कर निर्धारण संग्रहण व अभिलेखों की नकल नागरिकों व अन्य निकायों में दिये जाने के सम्बन्ध में नगरपालिका अधिनियम की धारा 112 के अन्तर्गत निर्गत करने का कार्य, जो श्री महेशनारायण कार्यालय अधीक्षक द्वारा किया जा रहा था, नियमित रूप में किया जाय, उक्त कार्य हेतु बोर्ड द्वारा शक्ति प्रतिनिधायन श्री महेशनारायण कार्यालय अधीक्षक को किया जाय, पत्रावली अनुमोदन हेतु।	कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. पत्रावली बाबत आवेदनपत्र श्री रामनारायण साहू पुत्र श्री जोरजी निवासी मोहल्ला खानगीरोला जोधपुर कि म्युनिसिपल भूमि संख्या 21 स्थित मोहल्ला खानगीरोला, में से 2.5 (ढाई) स्क्वायर भूमि जो बोर्ड के प्रस्ताव सं० 58, दिनांक 5.6.1947 द्वारा इनके पक्ष में 30 साल के लिये पट्टे पर दी गयी थी, जो मियाद समाप्त हो जाने की स्थिति में पट्टे के नवीनीकरण एवं प्रीमियम की धनराशि निर्धारित किये जाने हेतु सिटी बोर्ड जोधपुर के प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 21.7.83 के अन्तर्गत रखी गयी थी, जो स्वीकार कर ली गयी थी, परन्तु प्रस्ताव संख्या 58 दिनांक 5.6.1947 के अन्तर्गत किये गये पट्टे के लिखित शर्तों के अनुसार उक्त भूमि के ऊपरी तल का उपयोग बगरज मकान निर्माण प्रयोग किया जा सकेगा, जिस पर मकान बना भी हुआ है, साथ ही नीचे की भूमि निजी प्रयोग हेतु रहेगी, के साथ ही सानगी वल्दों के अन्तर्गत उक्त भूमि उनके सुपुत्र श्री बाबूलाल	स्वीकार। 21.7.83 (इक्कीस जुलाई सन् तिरासी) आगामी 30 वर्ष के लिये पट्टे के नवीनीकरण की स्वीकृति दी जाती है।

पूरक प्रस्ताव 29.1.95

निर्णय

प्रस्ताव ... के पक्ष में मिली है, बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 21.7.93 में नगर पालिका अधिनियम की धारा ...(6) अन्तर्गत उपरोक्त संबंधित संशोधन विषयक प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।

प्रस्ताव श्री बाबूलाल गुप्त, मो० पयामाबाद, जिसका समर्थन श्री [illegible] उर्फ मस्ताजी [illegible] ने किया, बाबत नगर में चल रहे अवैध जल संयोजनों को बोर्ड हित में नियमित कराये जाने की प्रक्रिया में डोमेस्टिक जल संयोजनों को वैध कराने हेतु 300/- चार्ज किया जाय, यदि रिपोर्ट के आधार पर अधिभार 300/- से अधिक होता है तो उसका भुगतान, सम्बन्धित उपभोक्ताओं से, आसान किस्तों में ली जाय, साथ ही इस नियमितीकरण कार्यवाही क्रम में उक्त भवन पर नया कोई निर्धारण की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहेगी, सम्बन्धी प्रकरण, परिषद अनुमोदन हेतु।

प्रस्ताव पर चर्चा हुयी और सर्वसम्मति से 200/- दो सौ रुपया लिया जाना पारित किया गया।

चर्चा काल :-
उपरोक्त के संबंध में चर्चाकाल के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि :-

(1) जलसंयोजन नियमितीकरण कार्यवाही में यदि खर्च 200/- से अधिक आता है, तो उसे अलग बिल बनाकर भेजा जाय

(2) यह 31-3-95 तक ही प्रभावी होगा।

पूरक प्रस्ताव २१.१.८५

	प्रस्ताव	निर्णय
६.	पशुओं बाबत नगर क्षेत्र के पशुओं पर म्युनिसिपल बाइलाज के अधीन करारोपण / संशोधन आदि का पाबन्दी लगाने हेतु ~~विशेष~~ प्रस्ताव विशेष संकल्प के रूप में परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
७	प्रस्ताव श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव, सभासद, जिसका समर्थन श्री कैलाश नाथ मौर्य सभासद ने किया, बाबत शेखपुरा तिराहे पर उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित कर्मठ समाजसेवी, स्व० महावीर प्रसाद यादव की स्मृति में उक्त चौराहे पर "महावीर प्रसाद यादव मार्ग" का शिलालेख लगवाया जाय, जिसका व्यय श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव, सभासद प्रस्तावक वहन करेंगे, परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
८.	स्वास्थ्य विभागीय आख्या दिनांक २५.१.८५ बाबत स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर सफाई व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन की दिशा में, सफाई जैसी आवश्यक सेवा नागरिकों में सुलभ कराने हेतु श्री दुर्गापूजा, दीपावली, मोहर्रम, बारावफात, तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रीगण, व गणमान्य विशिष्ट व्यक्तियों के नगर आगमन पर विषम परिस्थितियों में भी सफाई व्यवस्था बनाये रखने हेतु ८.२.८३ से कोई कार्यकाल तक	स्वीकार।

पूरक प्रस्ताव 28.1.95

निर्णय :-

प्रस्ताव :- प्रतिक मजदूरी पर की गयी [illegible], परिषद अनुमोदन हेतु।

1. आवेदनपत्र श्री श्रीचन्द्र यादव, राजस्व प्रभारी, बावत सिटी-बोर्ड जौनपुर कार्यालय आदेश संख्या मेमो [illegible] दिनांक 31.10.85 द्वारा शासनादेश संख्या 1030(2)/11-क-11-जी.एस.(प्रमोशन)-6 दिनांक 13 जून 1968, उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली 1966 के नियम 3 के प्राविधानान्तर्गत राजस्व अधीक्षक के पद पर की गयी नियुक्ति, जिसके अनुमोदन हेतु प्रकरण, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ को संदर्भित किया गया है, विभागीय शासनादेश के तहत उक्त पद पर स्थायी करने का प्रकरण, जो उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के आधार पर शासन मे विचाराधीन है, श्री यादव को उक्त पद पर विनियमित किये जाने एवं वेतन भुगतान हेतु शासन को लिखने के प्रकरण के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा इन्हे का अधीक्षक के पद पर किये जाने हेतु निर्णय पारित किया गया है, परिषद के समक्ष सिटी बोर्ड जौनपुर के माननीय सभासद सर्वश्री अनवारुल्ला, मिजान खाँ, बाबूलाल गुप्त, मिर्जा जफर हुसैन, दुर्गाप्रसाद साहू, वीरेन्द्र प्रताप यादव की सहमति / संस्तुति के आधार पर परिषद के समक्ष विचारार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

स्वीकार।

पूरक प्रस्ताव २९.१.९४

	प्रस्ताव	निर्णय
10.	प्रस्ताव श्री रिजवान खां, कौंसिल उपाध्यक्ष, सिटी बोर्ड नौगवां जिसका समर्थन श्री अबुललेसगुलाम, मान समाहद ने किया, जो निम्नांकित सड़कों के नामकरण के सम्बन्ध में साथ ही क्षतिग्रस्त शिलालेख पट्टिका के पुनर्स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु।	
	1. शाहगंज रोड से बड़ी मस्जिद को जाने वाले मार्ग का नाम "बड़ी मस्जिद रोड" रखा जाय जिसका व्यय बोर्ड वहन करेगी।	स्वीकार।
	2. मल्हनी रोड से जो रास्ता बेगमगंज को जाता है, जिसका नामकरण बहुत पूर्व इस पालिका के पूर्व अध्यक्ष सै० नाजिम हुसैन के नाम से हो चुका है, जिनके नाम का शिलालेख बेगमगंज चुंगी नाका पर स्थापित है, उन्हीं के नाम का शिलालेख मल्हनी रोड पर श्री हामिद के मकान के पास लगा था, जो क्षतिग्रस्त हो गया है, उसी स्थान पर उन्हीं के नाम का शिलालेख लगवाया जाय, जिसका व्यय बोर्ड वहन करेगी।	स्वीकार।
	3. शाहगंज रोड से नाला से होते हुये शाजरा गर्ल्स स्कूल को जाने वाले मार्ग का नामकरण उस क्षेत्र की समाज सेवी महिला श्रीमती "जुबैरा बेगम मार्ग" रखा जाय, जिसका व्यय उनके परिवार के सदस्य वहन करेंगे।	स्वीकार।
	4. कोतवाली चौराहे से शाहगंज रोड को जाने वाले मार्ग का नामकरण, जो पहले से नवाब यूसुफ रोड था, और उन्हीं के नाम का शिलालेख	स्वीकार।

पूरक प्रस्ताव 29.1.95

प्रस्ताव	निर्णय
प्रस्ताव स्थानों पर लगा था, उन्हीं अमुक पत्थरों में किदवई पार्क शिलालेख पत्थर है पास, लगा हुआ पत्थर (शिलालेख) क्षतिग्रस्त हो गया है, उसे पुनः प्रतिस्थापित किया जाय, जिसका बोर्ड वहन करेगी।	

अध्यक्ष की आज्ञा से सम्मिलित प्रस्ताव

प्रस्ताव	निर्णय
1 प्रस्ताव श्री श्रीमताप आर्य, मान्य सभासद, जिसका समर्थन डा० सुनील श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने किया, बावत निम्नांकित मार्गों के नामकरण हेतु परिषद के समक्ष स्वीकृतार्थ	
1. कचेहरी मार्ग जोगियापुर स्थित चेतना प्रिन्टिंग प्रेस से शिवघाट तक जाने वाले मार्ग का नाम उस क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति स्वर्गीय रत्तीलाल के नाम से उनकी स्मृति में उस सड़क का नामकरण "रत्तीलाल मार्ग" रखवा जाय, जिसका व्यय प्रस्तावक श्री श्रीमताप आर्य वहन करेंगे।	स्वीकार।
2. शेरवपुरा चौराहे से मियाँपुर कचेहरी मार्ग तक जाने वाली सड़क का नाम स्वर्गीय रामदास ठीकेदार के सम्मान में उनकी स्मृति में उस मार्ग का नाम "रामदास ठीकेदार मार्ग" रखा जाय, जिसका व्यय प्रस्तावक श्री श्रीमताप आर्य, सभासद वहन करेंगे।	स्वीकार।

अध्यक्ष की स्वीकृति से 28.1.25

प्रस्ताव	प्रस्ताव पे सामि. निर्णय.
3. श्री अम्बेडकर चौराहा कचेहरी से हरईपुर को जाने वाली सड़क का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० राजदेव सिंह की स्मृति में "ठाकुर राजदेव सिंह मार्ग" रखा जाय, शिलालेख आदि पर होने वाला व्यय प्रस्तावक श्री शोभनाथ आर्य वहन करेंगे।	स्वीकार।
2. प्रस्ताव श्री दयाशंकर साहू, मान्य सभासद, सिटी-बोर्ड, जिसका समर्थन डा० सुनील श्रीवास्तव व श्री जियारत हुसैन, मान्य सभासद ने किया, बाबत चौकिया मोड़ से रसूलाबाद तक जाने वाली सड़क का नाम स्व० भगवानदास साहू, पूर्व सभासद, सिटी-बोर्ड जौनपुर की स्मृति में "भगवानदास साहू मार्ग" रखा जाय, जिसका व्यय प्रस्तावक वहन करेंगे।	स्वीकार।
3. प्रस्ताव श्री लक्ष्मीनारायण यादव, प्रतिनिधि, सांसद नगर जौनपुर / पदेन सदस्य, सिटी-बोर्ड जौनपुर बाबत जिला कारागार, कोतवाली गेट से जो रास्ता कचेहरी के पीछे से मिला है, उसे बनवाये जाने का प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।

अध्यक्ष की स्वीकृति से सम्मिलित प्रस्ताव 239
29.1.95
निर्णय.

प्रस्ताव

प्रस्ताव डा० सुशील श्रीवास्तव, मान्य सभासद, जिसका समर्थन सर्वश्री सोमनाथ आर्य, बाबूलाल गुप्त, गणेशनाथ भगवत आदि 11 सभासदों ने किया, निम्नांकित प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।

(1) नगर परिषद के कर्मचारियों के मकानों का गृहकर/जलकर मुक्त किया जाय। — स्वीकार है।

संशोधन — नगर परिषद के भूतपूर्व कर्मचारियों के एक मकान का गृहकर/जलकर मुक्त किया जाय, जो जनवरी 1995 से लागू माना जायेगा। — स्वीकार है।

(2) नगर परिषद के सभासदों के एक मकान का गृहकर जलकर माफ किया जाय। — स्वीकार है।

संशोधन — नगर परिषद के भूतपूर्व सभासदों के एक मकान का गृहकर/जलकर मुक्त किया जाय, यह जनवरी 1995 से लागू माना जाय। — स्वीकार है।

प्रस्ताव श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव, मान्य सभासद, जिसका समर्थन श्री जगदम्बा उर्फ भइया जी एवं अन्य सर्वाधिक सभासदों ने किया, बाबत नगर क्षेत्र में नागरिकों द्वारा लिये गये जल संयोजन से सम्बद्ध लगे हुये मीटर जो अधिकतर खराब — स्वीकार है।

उपभोक्ता की स्वीकृति से सामिमलित प्रस्ताव 29.1.24

प्रस्ताव — निर्णय

पड़े हैं, जिनकी रीडिंग मीटर रीडरों द्वारा नहीं ली जाती, उनके बावजूद मीटर का किराया नागरिकों से डिमाण्ड के रूप में कायम किया जाता है, जो एक प्रकार से गलत अनाधिकृत डिमाण्ड है, उक्त सभी गलत / अनाधिकृत डिमाण्ड खारिज कर दिया जाय, परिषद अनुमोदन दे।

6. प्रस्ताव डा० सुशील श्रीवास्तव, मान्य सभासद जिसका समर्थन श्री मिर्जा जियारत हुसैन व श्री मताबआलम आदि सभासदों ने किया, बावत नगर स्थित जल उपयोगता पर निम्नांकित दरों पर जलमूल्य निर्धारित किया जाय — स्वीकार।

(1) डोमेस्टिक जलउपभोगता पर 5=00 प्रतिमाह
(2) चाय पान की दुकानों व रेस्टोरेन्ट पर 10-00 प्रतिमाह
(3) होटल पर लाज पर 50=00 प्रतिमाह

उपरोक्त प्रकार से आकलन करने पर आयी हुयी धनराशि में से जलकर का मूल्य घटाने के पश्चात जो धन शेष बचे वही उनसे लिया जाय।

28.1.25

अध्यक्ष की स्वीकृति से सम्मिलित प्रस्ताव

प्रस्ताव	निर्णय
प्रस्ताव हाजी मो० सलीम, मान्य सभासद, जिसका समर्थन श्री मिर्जा जियारत हुसैन, श्री मिठाईलाल, आदि सर्वाधिक सभासदों ने किया, बावत जौनपुर नगर में मास्टर प्लान लागू कर दिये जाने की ~~प्रकि~~ प्रक्रिया में 900 वर्ग फीट से कम भूमि की परिधि पर मानचित्र पास नहीं किया जाता, जबकि नगर में बहुत से गरीब नागरिक ऐसे भी हैं जिनके पास 900 वर्ग फीट से भी बहुत कम जमीन है जिनका मानचित्र मास्टर प्लान द्वारा 900 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता के कारण पारित नहीं हो पाता, को जनहित में ध्यान में रखते हुये 900 वर्ग फीट से कम भूमि की परिधि पर भी मानचित्र पारित किया जाय, और हेतु नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, जौनपुर को स्थिति को स्पष्ट करते हुये यथोचित अनुरोध किया जाय, परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार। अग्रेतर कार्यवाही की जाय।
आवेदनपत्र वाशिन्दगान मोहल्ला मियांपुर जौनपुर बावत डा० भीमराव अम्बेडकर पार्क से जो रास्ता मियांपुर जजज कालोनी को मिलाती है, उस रास्ते पर श्री लक्ष्मण प्रसाद यादव एवं आदित्य, सा० नि० वि० जौनपुर के मकान से होते हुये पूरब तरफ नाले की ओर जाने वाली	स्वीकार। अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

अध्यक्ष की स्वीकृति से सम्मिलित प्रस्ताव

प्रस्ताव

फाउंड्री मार्ग के अगल बगल नागरिकों द्वारा आवासीय भवन बनवाये गये हैं, जिनके आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है, रास्ते को प्रतिस्थापित किये जाने के क्रम में उक्त मुहल्ले के निवासियों द्वारा दी गयी सहमति कि उक्त रास्ता निर्माण हेतु कियोंजू स्थित प्लाट नं० 437, 438, 439, 440, 441, 449, 450 से तिरही चौड़ाई को सड़क निर्माण हेतु जो आवश्यक भूमि की जरूरत हो, उतनी भूमि लेकर, सड़क व नाली बना दें, जिसके लिये उनकी सहमति सह-आवेदनपत्र के साथ संलग्न है, उक्त भूमि को अधिग्रहित करके सड़क निर्माण का प्रकरण, परिषद अनुमोदन हेतु।

9. प्रस्ताव बाबत नगर विकास अनुभाग-1 शासनादेश सं० 171/9-1-92 दिनांक 8.1.1992 में निहित निर्देशों के तहत 11.10-89 को कार्यरत सभी दैनिक मजदूरी के कर्मचारी पालिका के जो उक्त तिथि को तीन वर्ष एवं प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 कार्य करने की शर्त पूरी नहीं करते, को सेवा से हटाया न जाय वरन उन्हें भविष्य की रिक्तियों में समायोजित किया जाय, परिषद के समक्ष विचारार्थ।

10. प्रस्ताव बाबत किदवई पार्क के सामने सदर कोतवाली की दीवाल से सम्बद्ध 10 दुकानों के निर्माण, जिस पर मु० रु० .... व्यय पड़ेगा, का प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।

निर्णय

(9) सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ... सभी विभागों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी अग्रिम आदेश तक कार्य करते ...

(10) स्वीकार।

ह० अपठनीय
अधि० अधिकारी

ह० अपठनीय 1994
अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

- चर्चाकाल :-

चर्चाकाल के दौरान श्री शिवकुमार गुप्त, सभासद ने कहा कि वाटर चार्ज की बिलें बहुत अधिक की भेजी जा रही हैं, जबकि ज्यादातर मीटर खराब हैं, बिना रीडिंग के बिल अधिक की भेजी जा रही है, जबकि उपभोक्ताओं को पानी तक नहीं मिलता, इस पर अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी ने बताया कि इस प्रकार के बिल हों तो लायें, उसे ठीक कराया जायेगा, चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री सोमनाथ आर्य सभासद ने कहा कि जिनके यहाँ पानी नहीं जा रहा है, 2-3 वर्ष से उनके पास 800/- की बिल भेजी गयी है, ऐसा क्यों ? इस पर अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी ने बताया कि यदि ऐसा है तो उनके बिल व नाम बताये जांय ताकि पुनः जाँच कराकर उसे ठीक कराया जा सके।

चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री रमजान खाँ, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, ने कहा कि जो जलसंयोजन अनियमित हैं उन्हें रेगुलर किया जाय, और उन पर पानी का चार्ज माफ किया जाय, इस पर अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी की अनुमति से जलकल अभियन्ता ने बताया, कि पानी का चार्ज तो माफ किया जा सकता है, किन्तु जो नियमानुसार शुल्क जैसे जमानत की धनराशि, रोड कटिंग, मीटर टेस्टिंग, कनेक्शन रजिस्ट्रेशन, पाइप सामान टेस्टिंग, और जो जमा हेतु उपयुक्त धनराशि लगभग 200/- हो ही आता है, उसे तो जमा करना ही पड़ेगा, जिसकी रसीद दी जायेगी, तथा जिन भवनों पर वार्षिक कर निर्धारण 500/- से कम है उसे बढ़ाकर वार्षिक कर निर्धारण 500/- चार सौ रुपये करना पड़ेगा, यदि सभासदगण चाहें तो ऐसे जलसंयोजनों के 10-20 प्रार्थनापत्र पर उपभोक्ता लेकर उस पर मीटर लगाकर रु. 200/- जमा कराकर उनके कनेक्शन नियमित हो सकते हैं, इस पर आम सहमति पायी गयी, और इसे स्वीकार किया गया।

चर्चाकाल — बैठक, दिनांक 2[illegible]

उक्त चर्चा पर अध्यक्ष जी ने कहा कि जो बात वैधानिक ढंग से कर सकते हैं, उसे कर दिया जाय, और जो कुछ व्यावहारिक है, उसे भी किया जाय।

आगे श्री सोमनाथ आर्य, मनोनीत सभासद ने कहा कि भगतसिंह पार्क न्यू मार्केट में दुकान नं. 10 में चैनल गेट लगाने हेतु श्री राधेश्याम मौर्य द्वारा दिये गये आवेदनपत्र पर क्या विचार किया गया, इस पर प्रकाश डाला जाय, इस पर अध्यक्ष ने अधिशासी-अधिकारी की अनुमति से राजस्व प्रभारी ने बताया कि दिनांक 25.1.85 को उक्त दुकान में चैनल गेट लगवाने की अनुमति सक्षम अधिकारी द्वारा दे दिया गया है। इसे बोर्ड के समक्ष रखकर इसका अनुमोदन कर दिया जाय, जो सर्व सम्मति से पारित किया गया।

इस प्रकार बोर्ड की कार्यवाही का समापन हुआ और बोर्ड की अगली बैठक दिनांक 5.2.85 को 3.00 बजे के लिये रखी गयी, जिसमें सम्मिलित होने के लिए सभी सभासदों से अनुरोध किया गया।

(सत्यप्रकाश पाण्डेय)
अधिशासी-अधिकारी,
(विशेष वेतनमान)
सिटी-बोर्ड जौनपुर
25.1.85

(सी तारायादव)
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
25.1.85

लेखक :- महेशनारायण
कार्यालय-अधीक्षक/पारषद लेखक
सिटी-बोर्ड - जौनपुर